

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 297] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1982/ आश्विन 19, 1904
No. 297] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलन संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1982

(सं० 219/82-केन्द्रीय उत्पाद)

सां० कां० नि० 598 (अ) .—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
(ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1982 के नियम 1 के उपनियम (2)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 अक्तूबर, 1982 को,
उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त नियम प्रवृत्त होंगे।

[फा० सं० 208/25/82-के० उ० 6]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th Oct. 1982

(No. 219/82-Central Excise)

G.S.R. 598 (E) .—In exercise of the powers conferred by
sub-rule (2) of rule 1 of the Central Excise (11th Amendment)

Rules, 1982, the Central Government hereby appoints the 11th
day of October, 1982, as the date on which the said rules shall
come into force.

[F. No. 208/25/82-CX 6]

(केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

(सं० 220/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/82)

सां० कां० नि० 599 (अ) .—केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क
बोर्ड, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित
केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की
धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश
देता है कि, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट भारत सरकार
के केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचनाएँ, उक्त सारणी

के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति और संशोधित या संशोधित की जाएंगी।

Central Board of Excise & Customs

(No. 220/82-CENTRAL EXCISES)

सारणी

क्रम अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1. 80/70-केन्द्रीय उत्पादशुल्क तारीख 15 अप्रैल, 1970	उक्त अधिसूचना में— “(1) सीमाशुल्क अपील कलक्टर” शब्दों के स्थान पर “सीमा- शुल्क कलक्टर (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएँगे। (2) “अपील कलक्टर” और “केन्द्रीय उत्पादशुल्क अपील कलक्टर” शब्दों के स्थान पर “कलक्टर (अपील)” और “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएँगे।
2. 16/72-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 जनवरी, 1972	उक्त अधिसूचना में— “सीमाशुल्क अपील कलक्टर” और “केन्द्रीय उत्पादशुल्क अपील कलक्टर” शब्दों के स्थान पर “सीमाशुल्क कलक्टर (अपील)” और “केन्द्रीय उत्पादशुल्क कलक्टर (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएँगे।

[फा० सं० 208/25/82-के० उ० 6]
प्रार० शर्मा, अधीक्षक सचिव,

G.S.R. 599 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises & Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Central Board of Excise and Customs, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended or amended as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S.No. Notification No. and date	Amendments
1. 80/70-Central Excises dated the 15th April, 1970	In the said notification, (i) for the words “Appellate Collector of Customs”, the words and brackets “Collector of Customs (Appeals)” shall be substituted; (ii) for the words “Appellate Collector” and “appellate Collector of Central Excise” the words and brackets “Collectors (Appeals)” and “Collectors of Central Excise (Appeals)” shall respectively be substituted.
2. 16/72-Central Excise dated the 29th January, 1972	In the said notification, for the words “Appellate Collector of Customs” and “Appellate Collector of Central Excise”, the words “Collector of Customs (Appeals)” and “Collector of Central Excise (Appeals)” shall respectively be substituted.

[F.No. 208/25/82, CX 6]

R. SHARMA, Under Secy.